केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

के.मा.शि.बो./ शैक्षणिक /परिपत्र/ 2017 परिपत्र सं. : शैक्षणिक-07/2017

दिनांक : 14/02/2017

के.मा.शि.बो. से संबद्ध विद्यालयों के प्रमुख

विषय : शैक्षणिक सत्र 2017-18 के शुरू होने से पहले के.मा.शि.बो. से संबद्ध विद्यालयों में एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य-पुस्तक/प्रकाशन

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में आहूत एक बैठक में के.मा.शि.बो. से संबद्ध विद्यालयों में एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों के उपयोग की समीक्षा की गई। एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण के साथ शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए के..मा.शि.बो. से संबद्ध विद्यालयों में एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों की आपूर्ति हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जा रही है :

1) देश में फैले हुए एन.सी.ई.आर.टी. के सूचीबद्ध 680 वितरक विक्रेताओं के माध्यम से सभी कक्षाओं (I - XII) के लिए पाठ्य-पुस्तकों की पर्याप्त मात्रा में मुद्रण एवं आपूर्ति एन.सी.ई.आर.टी. करेगी। अहमदाबाद, अजमेर, बैंगलोर, भोपाल, भुबनेश्वर, कोलकाता, मैसूर, शिलांग और एन.सी.ई.आर.टी. मुख्यालय दिल्ली के विक्रय पटल पर भी एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी।
2) सभी विद्यालय हेतु एन.सी.ई.आर.टी के पुस्तकों की (कक्षावार एवं शीर्षकवार) आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए के.मा.शि.बो. ने ऑनलाइन मांगपत्र (INDENT) उत्थापन हेतु अपनी वेबसाइट पर एक लिंक www.cbse.nic.in दिया है। विद्यालय विद्यमान प्रत्यायकों का उपयोग करके लॉगिन करेंगे और अपनी मांग रखेंगे। शैक्षणिक वर्ष 2017-18 हेतु एन.सी.ई.आर.टी. पुस्तकों के लिए ऑनलाइन अनुरोध को विद्यालयों की मांग के रूप में माना जाएगा।
3) लिंक 15.02.2017 से 22.02.2017 तक सक्रिय रहेगा और केवल एक बार मांग को भरा जाएगा। ऑनलाइन मांग के आंशिक उत्थापन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ध्यानपूर्वक यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय द्वारा ऑनलाइन मांग का उत्थापन, ओ.ए.एस.आई.एस. के माध्यम से प्रस्तुत आंकड़ों के अनुरूप हों।
4) गत्यात्मक आधार पर अपने विक्रेताओं/विक्रय पटल के माध्यम से पुस्तकों की आपूर्ति के लिए एन.सी.ई.आर.टी. के साथ के.मा.शि.बो. इस ऑनलाइन मांगपत्र (INDENT) को साझा करेगी।
5) दरें, छूट आदि एन.सी.ई.आर.टी. की नीति के अनुसार होगी। विद्यालयों को पुस्तकों की आपूर्ति सूचीबद्ध विक्रेताओं के माध्यम से एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा की जाएगी और विद्यालयों द्वारा एन.सी.ई.आर.टी. को भुगतान एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार ही किया जाएगा।

तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु विद्यालय प्रमुखों से अनुरोध किया जाता है।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव और प्रभारी (शै. अ. प्र. एवं न.)

"शिक्षा सदन", 17, इंस्टिट्यूशनल क्षेत्र, राउज़ एवेन्यु, नई दिल्ली-110002
"Shiksha Sadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002
फोन / Telephone : +91-11-23212603, 23234324(telefax) वेबसाइट/Website: www.cbseacademic.in

<u>प्रतिलिपि</u>

1) निजी सचिव, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के
2) सचिव (एस.ई. एंड एल.), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
3) अध्यक्ष, के.मा.शि.बो. के कार्यकारी अधिकारी

} सूचनार्थ

प्रतिलिपि रा.शै.अ.प्र.प./ संबंधित निदेशालय के प्रमुख/के.वी.एस./एन.वी.एस./सी.टी.एस.ए. को उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित विद्यालयों में सूचनार्थ एवं प्रसार के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु :

4) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
5) आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन,18-इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
6) आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, सेक्टर-62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा-201309
7) शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली 110054
8) लोक शिक्षण निदेशक (स्कूल), केंद्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़-160017
9) शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
10) स्कूल शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, इटानगर-791111
11) शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर-744101
12) शिक्षा निदेशक, एस.आई.ई, सी.बी.एस.ई. सेल, वी.आई.पी. रोड, जंगलीघाट, पी.ओ- 744103, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
13) निदेशक, केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, ई.एस.एस. प्लाजा, सामुदायिक केंद्र, सेक्टर - 3 रोहिणी, दिल्ली
14) अतिरिक्त महानिदेशक सैन्य शिक्षा, ए-विंग, सेना भवन, डी. एच. क्यू, पी ओ, नई दिल्ली - 110001
15) सचिव, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसायटी रक्षा मंत्रालय (आर्मी) एकीकृत मुख्यालय, एफ.डी.आर.सी. बिल्डिंग नं 22, शंकर विहार (निकट ए.पी.एस.) दिल्ली कैंट - 110010
16) अवर सचिव, (एस.ई -III), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
17) सचिव, के.मा.शि.बो.
18) परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो.
19) निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), के.मा.शि.बो.
20) निदेशक (विशेष परीक्षा एवं सी.टी.ई.टी), के.मा.शि.बो.
21) निदेशक (नेट)
22) कार्यकारी निदेशक (जे.ए.बी.)
23) जनसंपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
24) के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने क्षेत्राधिकार में बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों के सभी प्रमुखों को इस परिपत्र को भेज दें।
25) अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, के.मा.शि.बो., शैक्षणिक इकाई
26) संयुक्त सचिव (प्रशासन और विधि) / संयुक्त सचिव (समन्वय)
27) उप सचिव (संबद् धता) के.मा.शि.बो.
28) हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
29) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, के.मा.शि.बो.
30) आई.टी. प्रभारी को इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर अपलोड करें।